393

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. / /2017 निगरानी R 650-I-17

श्री ... द्वारा आज दि. 15/02/17 को प्रस्तुत

रीडर ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 15/2/17

राजकुमार पुत्र दमरूलाल चौरसिया आयु-45 वर्ष, निवासी- वार्ड क्रमांक 14 बारीगढ़ तह. गोरिहार जिला छतरपुर म.प्र.

.........आवेदक

बनाम

म.प्र. शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 06.02.2017 पारित द्वारा न्यायालय नायब तहसीदार लवकुशनगर प्र.क्र. 07/अ-68/2016-17 से दुखित होकर।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

15/2/17

निगरानी के संक्षिप्त तथ्यः-

1. यहकि, आवेदक राजकुमार चौरसिया निवासी वार्ड क्र. 14 बारीगढ़ तहसील गोरिहार का मूल निवासी होकर आवेदक को राजीव गांधी आश्रय योजना 1998 के अंतर्गत वर्ष 14.07.1998 को आवास हेतु 1000 वर्गफुट का पट्टा शासन द्वारा प्रदाय किया गया है जिस पर आवेदक काबिज होकर अपना भवन बनाकर अपने परिवार सहित निवास कर रहा है।
2. यहकि, आवेदक के विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार जुपारनगर जिला छतरपुर म.प्र. के द्वारा कारण बताओ नोटिस भेजा गया जिसमें आवेदक को राजीव गांधी आश्रय योजना से प्राप्त 1000 वर्गफुट के पट्टे के अलावा 9 फुट 11 इंच 9 फुट 10 इंच पर अतिक्रमण होना बताकर कारण बताओ नोटिस प्रदाय किया गया है।
3. यहकि, उक्त नोटिस के जबाब के पश्चात आवेदक के विरुद्ध धारा 248 की अवैधानिक कार्यवाही न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला–छतरपुर

प्रकरण कमांक–निगरानी–650–एक / 2017

राजकुमार विरूद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़ अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार लवकुशनगर, जिला–छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 07 / अ–68 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 06–02–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 13–05–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 18/3/19 सदस्य	